मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना

क्रं	प्रश्न	उत्तर
1	"मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" क्या है ?	शहरी बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।
2	"मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" के लिये पात्रता क्या है ?	• आयु 21 से 30 वर्ष • परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से कम हो। • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। • मनरेगा कार्डधारी न हो।
3	"मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" का लाभ लेने के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक होंगे ?	आधार कार्ड अनिवार्य है।
4	क्या बैंक खाता होना जरूरी है ?	अनिवार्य है। स्टाइपेंड सीधे बैंक खाते में दिया जायेगा।
5	क्या बैंक खाता आधार लिंक होना आवश्यक है?	हां।
6	यदि युवा शहर में रह रहा है किंतु उसका आधार कार्ड में पता ग्रामीण क्षेत्र का है तो क्या वे योजना का लाभ ले सकते है।	युवा को एक स्वप्रमाणन देना होगा की वह शहरी क्षेत्र का निवासी है।
7	यदि मेरी ऑनबोर्डिंग हो गई है और मेरा खाता आधार से लिंक नहीं है तो क्या होगा।	यदि आपकी ऑनबोर्डिंग हो गई है तो यह सुनिश्चित करें की आपका बैंक खाता आधार से भी लिंक हो।
8	क्या "मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" का लाभ किसी वर्ग विशेष के लिये है ?	नहीं। प्रत्येक वर्ग के शहरी बेरोजगार युवा योजना का लाभ ले सकते है।
9	क्या "मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लागू की गई है?	नहीं,
10	क्या "मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" का लाभ बीपीएल परिवारों तक सीमित होगा ?	नहीं
11	क्या इस योजना का लाभ सिर्फ पढ़े-लिखे लोग ही ले सकेंगे ?	ऐसी कोई बाध्यता नहीं है किंतु कौशल प्रशिक्षण के लिए ट्रेड अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है।
12	क्या 100 दिन पूरे होने पर उसी वर्ष में दूसरी बार रोजगार के लिए आवेदन किया जा सकता है ?	नहीं, एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार व प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। किंतु अगले वर्ष दोबारा आवेदन कर सकते है।
13	क्या निकायों में इस योजना के पात्र हितग्राहियों की संख्या निर्धारित होगी ?	हां, निकाय में कार्यो तथा कौशल प्रशिक्षण की उपलब्धता के आधार पर संख्या का निर्धारण होगा।
14	अगर अधिक आवेदन प्राप्त हुए तो सभी को अवसर कैसे प्राप्त होगा	"पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर।
15	यह योजना विशेष निकायों तक सीमित है या सम्पूर्ण राज्य में लागू है ?	योजना संपूर्ण राज्य में लागू है लेकिन प्रथम चरण में 150 निकायों में पंजीयन कर्ता लाभ ले सकेगा। सूची (क्लिक करें)

16	प्रथम चरण में निकायों का चयन किस आधार पर किया गया है।	जिन निकायो में प्रधानमंत्री कौशल योजना मुख्यमंत्री कौशल योजना व प्रशिक्षण पार्टनर मौजूद है वही लागू है।
17	"मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" अंतर्गत नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की क्या भूमिका है ?	निकाय में अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना, आधार आधारित उपस्थिति संधारण करना, 10 दिवसीय कार्य पर प्रशिक्षण (On Job Training, OJT) प्रदान करना एवं युवा को रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण में नियमानुसार निर्धारित उपस्थिति के आधार पर स्टाइपेंड प्रदान करना।
18	हितग्राहियों को भुगतान कब प्राप्त होगा ?	कौशल प्रशिक्षण में 70 प्रतिशत एवं रोजगार स्थल पर 33 प्रतिशत प्रतिमाह न्यूनतम उपस्थिति (कार्य दिवस अनुसार) होने पर स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
19	स्टाइपेंड के भुगतान की क्या प्रक्रिया है	भुगतान प्रतिमाह के अंत में निर्धारित उपस्थिति के आधार पर होगा।
20	क्या निर्धारित उपस्थिति से कम उपस्थिति पर भी स्टाइपेंड दिया जाएगा।	निर्धारित उपस्थिति से कम उपस्थिति पर कोई भी स्टाइपेंड नहीं प्रदान किया जाएगा।
21	जिन आवेदकों के पास मोबाइल नंबर नहीं होगा उनको इसका लाभ कैसे मिलेगा ?	अपने परिवार के सदस्य का मोबाईल नंबर दर्ज कराकर।
22	जिन आवेदकों के पास आधार कार्ड नही है, वे इस योजना में कैसे शामिल होंगे ?	आधार कार्ड बनाकर प्रस्तुत करने पर।
23	योजना में काम करने के लिए क्या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है ?	हॉ।
24	क्या काम के दौरान कोई अवकाश मिलेगा या नहीं?	मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शासकीय अवकाश।
25	क्या निर्धारित शासकीय अवकाश के दिनों का पैसा वृत्ति (स्टाइपेंड) में से कटौती किया जाएगा ?	नहीं
26	क्या प्रथम दस दिवस के प्रशिक्षण के लिए भी स्टाइपेंड (वृत्ति) प्राप्त होगा ?	हां, केवल 10 दिवस के प्रशिक्षण के लिये स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। पूरे माह के रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के उपरांत स्टाइपेंड दिया जाएगा ।
27	अगर मेरे पास पहले से ही किसी काम को करने का कौशल है, तो क्या मुझे फिर भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ?	प्रशिक्षण अनिवार्य है। यदि किसी ट्रेड में पहले से प्रशिक्षित है तो दूसरा ट्रेड चुनें या फिर पूर्व सीखें ट्रेड में कौशल बढाएं।
28	"मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" में सुपरवाईजर की क्या भूमिका एवं उत्तरदायित्व है ?	निकाय स्तर पर कार्य की निगरानी करना एवं उपस्थिति दर्ज करना।
29	"मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" में पंजीयन की प्रक्रिया क्या है ?	आनॅलाइन पोर्टल (www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in) के माध्यम से पंजीयन किया जायेगा।
30	क्या सभी वयस्क व्यक्ति "मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" का लाभ ले सकते है ?	केवल 21 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के युवा। आयु गणना कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी से की जाएगी।

31	**क्या नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद् /नगर पंचायत द्वारा हितग्राही का किसी भी प्रकार का सत्यापन किया जाएगा ?**	**हॉ, आधार आधारित सत्यापन किया जायेगा।**
32	**क्या इस योजना में वंचित वर्ग अथवा अतिगरीब को कोई प्राथमिकता मिलेगी ?**	**नहीं**
33	**यदि मैं समय पर ऑनबोर्डिंग के लिए उपस्थिति नहीं हुआ तो क्या होगा**	**निकाय में ऑनबोर्डिंग के लिए दोबारा मौका प्राप्त होगा।**